संख्या : 53/2015/1097/छप्पन-2015-01/2015

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2015

विषय : जनपद कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद के क्षेत्रान्तर्गत एक नयी हवाई पट्टी की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय के लिये भूमि क्रय की दर और क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के कुल मूल्य का प्रशासकीय अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1044-49/ना0उ0/2015, दिनांक 06.7.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद कानपुर देहात स्थित तहसील रसूलाबाद में एक नयी हवाई पट्टी के निर्माण हेतु चिन्हित की गयी भूमि के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 06.7.2015 का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद कानपुर की तहसील रसूलाबाद के क्षेत्रान्तर्गत एक नयी हवाई पट्टी की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय के लिये भूमि क्रय की दर रूपये 56-00 लाख प्रति हे0 और इस दर पर क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्य रूपये 49,30,91,200/- आंकलित किया गया है। क्रय हेतु प्रस्तावित/चिन्हित भूमि का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम का नाम	निजी भूमि (हे0 में)	गॉव सभा की भूमि (हे0 में)	कुल योग (हे0 में)
1- मरहमताबाद	50.264	23.692	73.956
2- बारनपुर कहिंजरी	5.864	1.524	7.388
3- भेवान	0.993	1.077	2.070
4- काशीपुर पूर्व	21.528	0.658	22.186
5- काशीपुर पश्चिम	5.486	0	5.486
6- काशीपुर मध्य	3.917	0	3.917
कुल योग	88.052	26.951	115.003

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19.3.2015 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्य रूपये 50.00 करोड़ से कम होने के कारण भूमि क्रय की दर और भूमि के कुल मूल्य पर प्रशासकीय अनुमोदन हेतु मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल, प्राधिकृत हैं।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कयहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-2 में अंकित सारणी के विवरणानुसार निजी भू स्वामियों की 88.052 हे0 भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय करने हेतु भूमि की दर और भूमि के कुल मूल्य पर प्रशासकीय अनुमोदन की कार्यवाही मण्लायुक्त, कानपुर मण्डल से तत्काल सम्पन्न कराने और तदोपरान्त भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, कानपुर देहात से सम्पादित कराने का कष्ट करें ताकि हवाई पट्टी का समयबद्ध निर्माण सम्पन्न कराया जा सके।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 53/2015/1097(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर।
3- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।